



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169779

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 9733 वर्ष 2026

महावीर और 7 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अमरेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आज आवेदकों की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और उनके मध्य दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



05.12.2025 को समझौता हुआ था, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके-अपने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2026 को समझौते का सत्यापन किया गया।
4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 एस सी सी 688** में समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:—

“15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित अन्य निर्णयों पर विचार करने के पश्चात यह देखा एवं निर्धारित किया जाता है कि:

- i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है, जिनमें अपराध का स्वरूप अत्यधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं मुख्य रूप से सिविल प्रकृति का हो, विशेषकर वे अपराध जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें मानसिक विकृति से संबंधित जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और केवल पीड़ित तथा अपराधी के मध्य हुए समझौते के आधार पर उन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) भा.दं.सं. की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें व्यक्ति मात्र के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः धारा 307 भा.दं.सं. और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, केवल इस आधार पर कि पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं की जा सकती। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इसलिए अपने निर्णय को स्थिर नहीं करेगा कि



प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 भा.दं.सं. का उल्लेख है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांचना खुला होगा कि धारा 307 भा.दं.सं. का समावेश केवल औपचारिकता के लिए किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया है, जो सिद्ध होने पर धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेगा। इस प्रयोजन हेतु उच्च न्यायालय लगी हुई चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है अथवा नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद केवल जांच के पश्चात साक्ष्य एकत्र किए जाने तथा आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही की जा सकती है। जब मामला अभी जांचाधीन हो, तब ऐसी कवायद अनुमत नहीं है। अतः नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें उपर्युक्त परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए;

v) जब गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में, जो निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न हो, पीड़ित और अपराधी के मध्य हुए समझौते/सुलह के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या



अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने का प्रबंध किस प्रकार किया आदि पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और वाद संख्या 468 वर्ष 2017 (राज्य बनाम महावीर और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 148 वर्ष 2016, धारा 147, 148, 149, 307, 323, 325, 504 भा.दं.सं., थाना राजा का रामपुर, जिला एटा से उत्पन्न है तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश, ई.सी. अधिनियम, एटा के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

12 अगस्त, 2026

अकबर